

2019/00251

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बरसी

पक्षों का नाम बनाम मिना देवी

प्रकरण संख्या 91/19

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.1(2)		<p>पत्रावली पार्थी द्वारा पत्रावली का पेश करते हुए नमूदा पत्रावली जारी। वादी बिना उपस्थित वादी ने पत्रावली का वाड विज्ञो मध्यस्थ पत्र पेश किया जो शांति मिशन की वती से उक्त पत्रावली का वाड विज्ञो पर सुना गया। पत्रावली का अंतर्गत एक कार्रवाई वादी को उक्त पत्रावली पर पर सुनने के पश्चात व्यापक रूप से ध्यान में रखते हुए वादी का पत्रावली वाड विज्ञो की कार्रवाई पर वाड विज्ञो करते की अनुमति दी जाती है। पत्रावली का वाड विज्ञो वादी का हीमा हो जाने से उक्त पत्रावली वाड का को आजो चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से वादी का वाड खाली किया जाता है। पत्रावली नमूदा से नमूदा का वाड तत्काल वापिस दफ्तार ले।</p>	<p><i>(Signature)</i> 29.11.2019</p>

*(Signature)*  
सहायक कलाक्टर बरसी जिला जजपुर